



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275560
CG-DL-E-19082026-275560

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 512]	नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2026/श्रावण 27, 1948
No. 512]	NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2026/SHRAVAN 27, 1948

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2026

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/285/2018/डीडी/283/2018/डीसी/1602/2022.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. तरुण खन्ना (सदस्यता संख्या 092002), 91 ग्रीन एवेन्यू, लेन नंबर 4, एक्सटेंशन I A, त्रिकुटा नगर, जम्मू तवी (जम्मू और कश्मीर) - 180012, को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I की मद (7) और पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2) तथा भाग I की मद (9) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी अभिनिर्धारित किया है और उसके परिणामस्वरूप अनुशासन समिति ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् आदेश दिया कि प्रतिवादी को फटकार लगाई जाए। इसके अलावा सीए. तरुण खन्ना (सदस्यता संख्या 092002) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही 25,000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये) का जुर्माना भी अधिरोपित किया, जिसका संदाय 60 (साठ) दिन की अवधि के भीतर किया जाना है। अतः, अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त

अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. तरुण खन्ना (सदस्यता संख्या 092002) का नाम 18 अगस्त, 2026 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./281/2026-27]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2026

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/285/2018/DD/283/2018/DC/1602/2022.— In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Tarun Khanna (Membership No. 092002), 91 Green Avenue, Lane No 4, Ext. I A, Trikuta Nagar, JAMMU TAWI (Jammu & Kashmir) - 180012**, guilty of Professional and Other Misconduct falling within the meaning of Item (9) of Part I and Item (2) of Part IV of First Schedule and Item (7) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered that the Respondent be Reprimanded. Further it also ordered for removal of name of **CA. Tarun Khanna (Membership No. 092002)** from the Register of Members for a period of 03(Three) months and also imposed a Fine of Rs. 25,000/-(Twenty Five Thousand) only to be paid within 60(Sixty) days. In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Tarun Khanna (Membership No. 092002)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(Three) months with effect from 18th August, 2026.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./281/2026-27]